

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2018

जयपुर, दिनांक : 19.11.2018

आदेश

मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 23412/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.10.2018 की पालना में डा. स्वाति शर्मा, चिकित्सा अधिकारी को पूर्व पदस्थापन स्थान राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर, अजमेर में माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 23412/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.10.2018 के विरुद्ध डी. बी. में अपील दायर करवाने की कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर/उदयपुर
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर, अजमेर/जिला चिकित्सालय, डूंगरपुर
5. संबंधित अधिकारी
6. कम्प्यूटर सेल
7. निजी /रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव